फा. सं. 2.2(23)/2017 -सा.-II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

निविदा आमंत्रण सूचना

आई बी एम सर्वर तथा सम्बद्ध मदों (अर्थात कंसोल सहित के बी एम स्विच) के व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) के लिए मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ एम ई) / प्राधिकृत डीलरों / आपूर्तिकर्ताओं / वितरकों /सर्वर के लिए मू.उ.विनि. के चैनल पार्टनर, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है, से दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। कार्यक्षेत्र एवं तकनीकी विवरण इस दस्तावेज के अनुबंध-I एवं II में दर्शाया गया है। मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी।

निविदा दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पी पोर्टल साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, इसके लिए समय-अनुसूची नीचे क्रिटिकल डेटशीट में दी गई है :-

क्रिटिकल डेटशीट

सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	18.04.2019
दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख	18.04.2019
दस्तावेज डाउन लोड करने की अंतिम तारीख	13.05.2019
बोली प्रस्तुतीकरण शुरू होने की तारीख	18.04.2019
स्पष्टीकरण शुरू होने की तारीख	18.04.2019
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	26.04.2019
ऑनलाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख तथा समय	13.05.2019; 1000 Hrs.
तकनीकी बोलियों को खोलने की तारीख तथा समय	15.05.2019; 1500 Hrs.
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	18,000/- रूपये

बोलियां केवल सी पी पी पी वेबसाइट: http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाएगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे " https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से बोलियों के ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता / संविदाकर्ता के लिए अनुदेश" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेजों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है ।

<u>सामान्य निबंधन तथा शर्तें</u>

1. <u>बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया</u>

बोलियां केवल केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगीं।

निविदा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर दो भागों, अर्थात तकनीकी बोली और मूल्य बोली, में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी ।

- प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर, दस्तावेजों की विषय-वस्तु के स्वरूप का ध्यान किए बिना दस्तावेजों को अपलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा अनिवार्यत: हस्ताक्षर किए जाएं तथा क्रमिक रूप से संख्या डाली जानी चाहिए ।

- फैक्स/ ईमेल या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

- सचिव, सं. लो. से. आ. के पक्ष में देय, डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में 18,000/- रु. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) के मूल लिखत की हार्ड प्रति अनिवार्यत: क्रिटिकल डेट शीट में यथाउल्लिखित ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख / समय पर या उससे पहले अवर सचिव (सामा.-II), कमरा सं. 208 ए - आ. सचि. भ., सं.लो.से.आ. को सुपुर्द की जाए ।

(i) <u>तकनीकी बोली:</u>

बोलीदाता को अनुबंध-VII में दर्शाई गई जांच सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगी अर्थात :-

(क) बोलीदाता कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या तो लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रुप में कानूनी रूप से वैध कंपनी के रूप में अस्तित्व में है। इसके प्रमाण के रूप में कंपनी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र / निगमन प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति। बोलीदाता को जेवी/संघ स्वामित्व या साझेदार के रूप में होने की अनुमति नहीं है।

(ख) पैन कार्ड की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(ग) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(घ) आई एस ओ प्रमाणन की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(ड.) मूल उपस्कर विनिर्माता अर्थात मैसर्स आई बी एम से प्राप्त निविदा विशिष्ट के लिए प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(च) वर्ष 2017-18 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्ष की आयकर विवरणियों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां ।

(छ) वर्ष 2017-18 सहित फर्म के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के ऑडिट किए गए तुलन पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां ।

(ज) फर्म के प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार को दर्शाते हुए सनदी लेखाकार (सी.ए.) से प्राप्त प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(झ) पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कार्य आदेशों / क्रय आदेशों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रतियां

(ट) 18,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति ।

(ठ) अनुबंध-III में तकनीकी अनुपालन विवरणी तथा अनुबंध-IV, एवं अनुबंध-V में यथा अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की हस्ताक्षर की गई तथा स्कैन की गई प्रति।

(ii) <u>बोली मूल्य</u>

बोली मूल्य की अनुसूची अनिवार्यत: निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाए । बोलीदाता अनिवार्यत: बोली अनुसूची [अनुबंध-VI] के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में ही दर प्रस्तुत करेंगे । दरें कर रहित उद्धृत की जानी चाहिए। कर दरों के साथ अलग से उद्धृत किए जाएं ।

2. <u>जमा धरोहर राशि</u>:

निविदा के साथ रू. 18,000/- (अठारह हजार रुपये मात्र) की जमा धरोहर राशि अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यह जमा धरोहर राशि दिल्ली / नई दिल्ली में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के रूप में जमा करनी होगी, ऐसा न किए जाने पर बोली तत्काल अस्वीकार कर दी जाएगी। केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ एवं वे फर्म जो एन एस आई सी / डी जी एस एंड डी तथा अन्य किसी ऐसे संगठन, जिसे नियमों के अंतर्गत जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट दी गई है में पंजीकृत है, को दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करने से छूट दी जाती है । अन्य बोलीदाताओं को ऊपर उल्लेख किए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

(i) जमा धरोहर राशि बोली की वैधता अवधि के बाद 45 (पैंतालीस) दिन की अवधि तक वैध रहेगी ।

(ii) जमा धरोहर राशि स्कैन की जाएगी और निविदा प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर ही ई-टेंडरिंग वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा मूल को संघ लोक सेवा आयोग में जमा करना होगा।

(iii) असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी । जमा धरोहर राशि पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

3. <u>निष्पादन गारंटी :</u>

सफल बोलीदाताओं को तीन वर्ष के लिए कुल वास्तविक संविदा मूल्य के 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । निष्पादन प्रतिभूति, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / बैंक गारंटी के रूप में आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी । निष्पादन प्रतिभूति सभी संविदात्मक देयताओं के पूरा होने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक वैध रहेगी । यह स्पष्ट रुप से ज्ञात होना चाहिए कि कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है। यह परिसमाप्त क्षति / शास्ति यदि कोई है, जो इसके निबंधन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लगाई जा सकती है, के अतिरिक्त होगा। निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सफल बोलीदाता को जमा धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>पात्रता मानदंड :</u>

4. बोलीदाता आवश्यक रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या तो लिमिटेड कंपनी या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कानूनी रूप से वैध कंपनी के रूप में अस्तित्व में हो । बोलीदाता को जे वी / संघ, स्वामित्व या साझेदार के रूप में होने की अनुमति नहीं है । बोलीदाता को कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण अर्थात कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र / निगमन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5. बोलीदाता सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ ई एम) या प्राधिकृत डीलर / आपूर्तिकर्ता/ वितरक / मू.उ.विनि. का चैनल पार्टनर हो, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो । इस संबंध में मूल उपस्कर विनिर्माता अर्थात मैसर्स आई बी एम से प्राप्त निविदा विशिष्ट के लिए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. बोलीदाता के पास सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में अनुबंध - II में यथा उल्लिखित विनिर्देशों सहित सर्वरों तथा अन्य आई टी पेरीफेरल्स के लिए अनुरक्षण सेवा मुहैया कराने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान के कम से कम 2 कार्य आदेशों / क्रय आदेशों की प्रतियां अवश्य संलग्न की जानी चाहिए ।

7. फर्म कम से कम 7 वर्ष से अस्तित्व में होनी चाहिए । तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंजीकरण / निगमन प्रमाण-पत्र जिसमें निगमन की तारीख को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो, संलग्न किया जाना चाहिए ।

8. बोलीदाता का पूर्ववर्ती तीन वर्षों का कारोबार कम से कम 20 लाख रू. प्रतिवर्ष होना चाहिए । इस संबंध में, बोलीदाता को वर्ष 2017-2018 सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लेखा परीक्षा किए गए तुलन-पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त, बोलीदाता को प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों का फर्म का वार्षिक कारोबार दर्शाते हुए सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. बोलीदाता को आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणित कंपनी होनी चाहिए । तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करना होगा ।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्ते</u>

10. वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित सर्वर सं.लो.से.आ. नई दिल्ली में अधिष्ठापित हैं । इन सर्वरों की अनुरक्षण सहायता साइट पर प्रदान की जानी है ।

11. ऊपर उल्लिखित उपकरणों के संबंध में मुहैया कराई जाने वाली अनुरक्षण सेवाएं "जैसा है जहां है" आधार पर प्रारंभ होगी । वार्षिक अनुरक्षण संविदा अवधि के दौरान फर्म कॉल आधार पर इंजीनियर मुहैया कराएंगे जो इन सर्वरों एवं संबद्ध मदों के अनुरक्षण संबंधी कार्य की देखरेख करेंगे । निविदाकर्ता के पास सर्वरों तथा आई टी पेरीफेरल्स के संबंध और रखरखाव करने का समुचित अनुभव रखने वाला तकनीकी स्टाफ होना चाहिए । इस दस्तावेज के अनुबंध-III में दिए गए तकनीकी अनुपालन विवरण जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।

12. संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से संविदा 3 (तीन) वर्ष के लिए वैध रहेगी जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :-

(i) वा. अनु. संविदा का वर्ष दर वर्ष आधार पर नवीकरण विक्रेता के संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन होगा ।

(ii) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार पर एक महीने का नोटिस देकर वा.अनु. सं. को समाप्त कर सकता है ।

(iii) सं.लो.से.आ. अपने विवेकाधिकार पर संविदा को उन्हीं निबंधन, शर्तों एवं तीसरे वर्ष की दर पर 01(एक) वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकता है ।

13. बोलीदाता मूल्य अनुसूची (अनुबंध-VI) में प्रत्येक तीन वर्ष का अलग- अलग वार्षिक अनुरक्षण प्रभार इंगित करेंगे । निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न की गई बोलियों को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

14. दर के साथ कर को अलग से उद्धत किया जाएगा। जो बोलीदाता कर के साथ दर को अलग-अलग उद्‌धृत नहीं करते हैं उन्हें अनुक्रियात्मक नहीं माना जाएगा और उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

15. एल-I बोलीदाता का निर्णय एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) पर 10 प्रतिशत वार्षिक छूट के साथ तय किया जाएगा । एल-I फर्म के निर्णय के लिए परिकलन का विवरण मूल्य अनुसूची (अनुबंध-VI) में दिया गया है । एल-I वेंडर का चयन एन पी वी के आधार पर होगा । तथापि, भुगतान वेंडर द्वारा उद्‌धृत की गई वर्ष-वार दर के साथ यथा लागू करों के आधार पर किया जाएगा ।

16. बोलियां तकनीकी बोलियां खोले जाने की तारीख से न्यूनतम 180 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी।

17. काल्पनिक, सशर्त या अपूर्ण बोलियों को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. संघ लोक सेवा आयोग को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19. आयकरः- यथा लागू बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य । बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता सं. (पैन) प्रस्तुत करनी होगी । बोलीदाताओं को अनुबंध-III के अनुसार एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए न तो दंडित किया गया और न ही दोषी करार दिया गया है ।

20. बोलीदाता को जी एस टी पंजीकरण प्रमाणपत्र जिसमें फर्म की जी एस टी पहचान संख्या (जी एस टी आई एन) शामिल हो, प्रस्तुत करना होगा ।

21. <u>भुगतान शर्तें</u>: व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए भुगतान कार्य के सफलतापूर्वक पूरे होने और सं. लो. से. आ. के सूचना प्रणाली स्कन्ध द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद तिमाही आधार पर किया जाएगा । संविदाकर्ता को प्रत्येक तिमाही के अंत में आई एस विंग से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट सहित बिल प्रस्तुत करना होगा।

22. <u>जोखिम क्रय खंड</u> : यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद निविदा दस्तावेज़ों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और / या नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तो सं.लो.से.आ. को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और व्यय पर अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों के साथ फर्म से की जाएगी । यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से कार्य कराने के लिए बाध्य होता है और यदि लागत कम हो तो फर्म को इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा ।

23. <u>परिसमाप्त क्षतियां :</u> वेंडर को पूर्णतया कार्यक्षेत्र के अनुसार और निविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करने हैं । ऐसा न होने पर संघ लोक सेवा आयोग अन्य किसी अधिकार अथवा उपलब्ध उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिसमाप्त क्षतियों के रूप में बोलीदाता से हानि के रूप में इस कार्यालय द्वारा ऐसी किसी धनराशि, जो निश्चित / निर्धारित की गई हो, वसूल कर सकते हैं । कार्य के विलंब के लिए परिसमाप्त क्षति 1% प्रति सप्ताह की दर से होगी जो कुल संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगी ।

24. <u>शास्तियां</u> : कार्यक्षेत्र (अनुबंध-I) में यथा वर्णित ।

25. <u>मध्यस्थता :</u> संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा परिचालन या आशय या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त माध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा ।

26. <u>क्षेत्राधिकार:</u> मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्यवाही जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

27. <u>अपरिहार्य घटना</u> : यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग अथवा बोलीदाता को संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में किसी विफलता अथवा चूक अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण और नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे, सिविल हड़ताल, तालाबन्दी, दंगे, सिविल वार आदि के कारण इसके कार्य के निष्पादन में विलंब के मामलों में ऐसी चूक, विफलता अथवा विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और निष्पादन के अपने सम्बद्ध दायित्वों से मुक्त होंगे, बशर्ते एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसी घटना होने के 21 दिन के भीतर सूचना दे देता है। कोई भी पक्षकार जब कभी अपरिहार्य घटनाओं के लिए नोटिस देता है तो उन्हें किसी सरकारी विभाग या एजेंसी या चैम्बर ऑफ कार्मस से प्रमाण-पत्र के रूप में ऐसी घटना की पुष्टि करनी होगी। पक्षकारों को उनके संबंधित दायित्वों से मुक्त किया जाएगा कि अपरिहार्य घटनाओं से उनका निष्पादन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है बशर्ते कि उपर्युक्त नोटिस दिया गया है और उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अपरिहार्य घटना विद्यमान है । तथापि, यदि संविदा के बदले निष्पादन हड़ताल, तालाबंदी आदि, जो 60 दिन से अधिक है, रोक दिया जाता है तो सं.लो.से.आ. को संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

28. सफल बोलीदाता द्वारा अनुरक्षण सेवाओं के असंतोषप्रद निष्पादन की स्थिति में सं.लो.से.आ. को यह विवेकाधिकार होगा कि वह सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाए एक माह का नोटिस देकर वा.अनु. संविदा को समाप्त कर दे और किसी अन्य फर्म को प्रदान कर दे या इस कार्यालय को इस संबंध में हुई हानि / क्षति के लिए बोलीदाता से ऐसी रकम की वसूली करें। इस संबंध में सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

29. वा.अनु.सं. प्रदान किए जाने के लिए उपर्युक्त विस्तृत शर्तें हैं। यदि उन्हें वा.अनु.सं. प्रदान की जाती है तो वेंडर को विस्तृत अनुरक्षण करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

30. सं.लो.से.आ. को संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, एक माह का नोटिस देकर एजेन्सी के साथ करार / संविदा को समाप्त करने का अधिकार है । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

31. इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित हेल्पलाइन नं. 011-23381141 पर संपर्क किया जा सकता है ।

32. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य-II)

अनुबंध-I

कार्यक्षेत्र

आयोग कार्यालय के सूचना प्रणाली स्कन्ध तथा विभिन्न अनुभागों में कंसोल सहित 12 आई बी एम सर्वर (रैंक-04 तथा टावर आधारित-08) तथा एक के वी एम स्विच (एटेन मेक) अधिष्ठापित किए गए हैं। इन सर्वर तथा अन्य आइटमों को तीन वर्ष की वारंटी के साथ अप्रैल 2015 में खरीदा गया था। वे सर्वर आयोग के महत्वपूर्ण स्थानों विशेषकर सू. प्र. स्कन्ध के एस ओ ए पी, डी ए एफ, ई-प्रवेश पत्र से संबंधित आवेदन पत्रों, परीक्षा पूर्व तथा उसके बाद की परीक्षाओं आदि के लिए अधिष्ठापित किए गए हैं।

फर्म को हार्डवेयर तथा प्रचालन प्रणाली को अच्छी कार्य स्थिति में रखते हुए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तो को सुनिश्चित करना होगा :

1. वा. अनु. सं. व्यापक होगी और अनुरक्षण अवधि के दौरान स्पेयर की लागत यदि अपेक्षित है, शामिल की जाएगी। सर्विस न किए जाने योग्य पाट्‌र्स बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए। पार्टस के प्रतिस्थापन के मामले में सिस्टम से हटाए गए दोषपूर्ण पाट्‌र्स फर्म की संपति होगी।
2. फर्म अनुरक्षण अवधि के दौरान ओ एस (ऑपरेटिंग सिस्टम) रेड हैट इन्टरप्राईज लिनुक्स (आर एच ई एल) और विन्डो सर्वर सपोर्ट जैसे, ओ एस अनुरक्षण सभी ड्राईवर सहित ओ एस की रिलोडिंग, ओ एस / फर्मवेयर अपग्रेड, डिवाइस ड्राईवर, सिस्टम कन्फीगुरेशन और सभी सर्वरों पर नेटवर्क कन्फीगुरेशन मुहैया कराने के प्रति जिम्मेदार होगी।
3. फर्म तीन महीने में एक बार निर्धारित निवारक अनुरक्षण (नि. अनु.) जिसमें अनुबंध-II में दिए गए विवरण के अनुसार सभी सर्वरों के सं.लो.से.आ. द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार नेमी जांच शामिल है, के प्रति जिम्मेदार होंगी और बिल प्रस्तुत करने से पहले सं.लो.से.आ. को निवारक अनुरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
4. फर्म सिस्टम के लिए 95 % अपटाईम मुहैया कराने के प्रति जिम्मेदार होगी और ऐसा न होने पर सं.लो.से.आ. द्वारा यथा प्रस्तावित शास्ति अधिरोपित की जाएगी। तथापि, शास्ति अधिरोपित करने से पहले सं.लो.से.आ. कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें डाउन टाईम के विवरण का उल्लेख किया जाएगा। इसमें वेन्डर पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति भी शामिल होगी। ब्रेक डाउन टाईम का परिकलन निम्नानुसार होगा :-

    (क) कुल मशीनी घंटे (X) = (सर्वरों की सं.) X (तिमाही में कार्य करने के दिन की सं. X कार्य के घंटे / दिन)

    (ख) डाउन टाईम = टाईम लेप्स (सभी कार्य दिवसों में 8 घंटे पर कार्य के घंटे की गणना) के बीच (i) तारीख एवं समय जब प्रयोक्ता की संतुष्टि तक दोष में सुधार किया गया और (ii) तारीख तथा समय जब फाल्ट की रिपोर्ट की गई / अनुरक्षण इंजीनियर द्वारा प्रत्येक मशीन के लिए अलग-अलग प्राप्ति स्वीकार की गई हो

(ग) डाउन टाईम (Y) = ब्रेक डाउन दिनों की सं. X 8 कार्य के घंटे / दिन

(घ) अपटाईम प्रतिशतता = [(X-Y) / X] x100

(ङ) शास्ति का परिकलन = के वी एम स्विच / सर्वरों के लिए एक तिमाही हेतु वा.अनु. सं. की दर (लागत) X डाउन टाईम (Y) तिमाही के दौरान / संबंधित तिमाही में कुल कार्य के घंटे।

5. आयोग का कार्यालय समय 9.30 बजे से 18.00 बजे तक है। तथापि, कार्य की तात्कालिकता के कारण कार्य दिवसों / घंटों के बाद या छुट्टी के दिन भी इंजीनियर की सेवाओं की आवश्यकता हो तो इसके लिए फर्म को कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
6. फर्म कॉल आधार पर शिकायत पर कार्य करने के प्रति जिम्मेदार होगी और सभी शिकायतों / कॉल लागिंग करने के 4 घंटे के भीतर इंजीनियर द्वारा अटेण्ड किया जाएगा जो ऐसी शिकायतों के लिए लागिंग किए जाने के 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि के वी एम स्विच / सर्वरों के कार्य करने के संबंध में सभी शिकायतों को सं.लो.से.आ. की संतुष्टि के अनुरूप शिकायतों की लागिंग किए जाने के अधिकतम 24 घंटे के भीतर सुधार कर लिया जाएगा, ऐसा न होने पर कार्य क्षेत्र के खंड 4 के अनुसार तिमाही भुगतान किए जाने के समय शास्ति प्रतिदिन के हिसाब से अधिरोपित की जाएगी।
7. सर्विस इंजीनियर परियोजना के सभी सरकारी तथा औद्योगिक मानकों एवं दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए उनका अनुपालन करेंगे। यदि विशेष परमिट या रिकार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है तो सर्विस इंजीनियर ऐसा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कागजी कार्य को रिकार्ड किया गया है और समुचित रूप से उनको रखा गया है। तैनात किए गए इंजीनियर के पास अपेक्षित अर्हताएं होनी चाहिए और हार्डवेयर तथा संबद्ध साफ्टवेयर का पर्याप्त कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

अनुबंध-II

रैक सर्वर के विनिर्देश

मॉडल- आई बी एम सिस्टम X3650M4- 4 सं. में

क्र.सं.	संघटक	विवरण
1.	फार्म फेक्टर	रैक टाईप 2U
2.	प्रोसेसर सपोर्ट	दो इंटेल® जियान® प्रोसेसर E5-2600 (130WTDP तक)
3.	प्रोसेसर	2×इंटेल®जियान® प्रोसेसर E5-2620 (6c/12T 2.0GHZ-15Mb-7.20GT/s
4.	चिपसेट	इंटेल® C600 सीरिज
5.	मेमोरी टाईप सपोर्ट	सोलह DDR3 DIMM साकेट (1600/1333/1066/MHz)
6.	अधिकतम मेमोरी सपोर्ट	512 जी बी तक
7.	मेमोरी	32 GB DDR3 1333 REG ECC
8.	पी सी आई स्लॉटों की सं.	04 चार
9.	एस ए टी ए कंट्रोलर	सपोर्ट एस ए एस एवं एस ए टी ए ड्राईव
10.	हास्ट आर ए आई डी सपोर्ट	एस ए टी ए आर ए आई डी 0.1 एवं 10 के लिए ऑनबोर्ड हास्ट रेड सपोर्ट
11.	एच डी डी	2×300Gb 6 Gbps 10K, rmp2.5" SAS ड्राइव को पापुलेटेड किया जाना चाहिए
12.	एल ए एन	2* 10/100/1000 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट
13.	ड्राईव बे	न्यूनतम 8* 2.5" HDD HS बे और 1* ODD बे
14.	डी वी डी- आर डब्ल्यू	स्लिम ड्राईव
15.	पंखों की संख्या	3 रूडेन्डेंट पंखे अपेक्षित है
16.	एच बी ए	डूयल पोर्ट FC HBA कार्ड (4जी)
17.	पावर सप्लाई	एक रूडेन्डेंट पावर सप्लाई सहित दो समुचित उच्च क्षमता वाली पावर सप्लाई
18.	रीयर आई /ओ इंटरफेस	1×VGA, 2×LAN RJ45, 6×USB, 1* सीरियल पोर्ट
19.	कम्पलाइन्स - पी एन पी/ पी सी आई ए सी पी आई / यू एस बी	PnP
		PCI- 2.3/3.0
		ACPI-2.0/4.0
		USB- 2.0
20.	ओ एस प्रमाणन	विन्डो 2008/2012 R2 एवं RHEL

अनुबंध-II (जारी)

टावर सर्वर के विनिर्देश

मॉडल- आई बी एम सिस्टम X3500M4- 2 सं. में

क्र.सं.	संघटक	विवरण
1.	फार्म फेक्टर	टावर टाईप
2.	प्रोसेसर सपोर्ट	दो इंटेल® जियान® प्रोसेसर E5-2600-सीरिज (135WTDP तक) के लिए सपोर्ट
3.	प्रोसेसर	2×इंटेल®जियान® प्रोसेसर E5-2620 (6c/12T 2.0GHZ-15Mb-7.20GT/s)
4.	चिपसेट	इंटेल® C600 सीरिज
5.	मेमोरी टाईप सपोर्ट	सोलह DDR3 DIMM साकेट (1600/1333/1066/MHz)
6.	अधिकतम मेमोरी सपोर्ट	512 जी बी तक
7.	मेमोरी	32 GB DDR3 1333 REG ECC
8.	पी सी आई स्लॉटों की सं.	न्यूनतम 04 (चार)
9.	कंट्रोलर	सपोर्ट एस एस डी, एस ए एस एवं एस ए टी ए ड्राईव
10.	हास्ट आर ए आई डी सपोर्ट	एस ए टी ए आर ए आई डी 0,1 एवं 10 के लिए ऑनबोर्ड हास्ट रेड सपोर्ट
11.	एच डी डी	3×900GB 6 Gbps 10K, rmp SAS ड्राइव पापुलेटेड
12.	एल ए एन	2* 10/100/1000 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट ऑनबोर्ड
13.	ड्राईव बे	अधिकतम 4 HS HDD s और 1* ODD बे
14.	डी वी डी- आर डब्ल्यू	स्लिम ड्राईव
15.	पंखों की संख्या	रूडेन्डेंट पंखे
16.	एच बी ए	डूयल पोर्ट FC HBA कार्ड (8जी बी)
17.	पावर सप्लाई	एक रूडेन्डेंट तथा दो हाट स्वैपेबल पावर सप्लाई सहित दो समुचित उच्च क्षमता वाली पावर सप्लाई
18.	रीयर आई /ओ इंटरफेस	1×VGA, 2×LAN RJ45, 6×USB, 1* सीरियल पोर्ट
19.	कम्पलाइन्स - पी एन पी/ पी सी आई/ ए सी पी आई / यू एस बी	PnP
		PCI- 2.3/3.0
		ACPI-2.0/4.0
		USB- 2.0
20.	ओ एस प्रमाणन	विन्डो 2008 R2 एवं RHEL
21.	मॉनीटर	18.5" TFT वाइड स्क्रीन

अनुबंध-II (जारी)

टावर सर्वर के विनिर्देश

मॉडल- आई बी एम सिस्टम X3100M5- 6 सं. में

क्र.सं.	संघटक	विवरण
1.	फार्म फेक्टर	टावर टाईप
2.	प्रोसेसर सपोर्ट	एक इंटेल® जियान® प्रोसेसर E3-1200-सीरिज के लिए सपोर्ट
3.	प्रोसेसर	1*इंटेल®जियान® प्रोसेसर E3-1200 V3 (4c/4T QC 3.10GHZ-8Mb
4.	चिपसेट	इंटेल® C200 सीरिज
5.	मेमोरी टाईप सपोर्ट	4 DDR3 DIMM साकेट (1600/1333/1066/MHz)
6.	अधिकतम मेमोरी सपोर्ट	32 जी बी तक
7.	मेमोरी	16 GB DDR3 1333 MHz
8.	पी सी आई स्लॉटों की सं.	04 (चार) या उससे अधिक
9.	SATA कंट्रोलर	06 SATA पोर्ट
10.	हास्ट आर ए आई डी सपोर्ट	एकीकृत एस ए टी ए आर ए आई डी लेवल 0/1/10
11.	एच डी डी	2×500GB 7200 RPM 2.5" /3.5" SATA ड्राइव
12.	एल ए एन	2* 10/100/1000 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट
13.	डी वी डी- आर डब्ल्यू	स्लिम ड्राईव
14.	पंखों की संख्या	एक पंखा
15.	पावर सप्लाई	एक रूडेन्डेंट पावर सप्लाई सहित दो समुचित उच्च क्षमता वाली पावर सप्लाई
16.	रीयर आई /ओ इंटरफेस	1×COM/1×VGA/2×LANRJ45/ 6×USB (4R तथा 2F)
17.	कम्पलाइन्स - पी एन पी/ पी सी आई ए सी पी आई / यू एस बी	PnP
		PCIe- 2.0/3.0
		सेक्युरिटी- टी पी एम
		SMBUS-2.0/QPI BUS
		USB- 2.0
18.	ओ एस प्रमाणन	विन्डो 2008 R2 एवं RHEL
19.	मॉनीटर	18.5" TFT वाइड स्क्रीन

के वी एम स्विच एवं कंसोल के विनिर्देश

क्रम सं.	संघटकों के नाम	विवरण
1.	के वी एम	रैक में बहुविकल्प सर्वरों की अनुमति सहित आई यू मानक रैक माउन्ट 8 पोर्ट सर्वर कंसोल स्विच पर पहुंचा जा सके तथा उन्हें एक की-बोर्ड, मॉनीटर एवं माउस से व्यवस्थित किया जा सके। 8 सर्वरों तक जोड़ने के लिए एक के वी एम इंटरफेस केबल और 8* USB इंटरफेस एडाप्टर्स।
2.	टी एफ टी कंसोल मॉनीटर	17" WXGA+ IU फार्मेट में टच पैड सहित मॉनीटर एवं की बोर्ड

अनुबंध-III

कार्य क्षेत्र के संदर्भ में तकनीकी अनुपालन विवरण

तकनीकी अनुपालन विवरण

क्रम सं.	तकनीकी विवरण	अनुपालन हां/नहीं	पृष्ठ सं.	टिप्पणियां
1.	कृपया निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के कार्य क्षेत्र एवं अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाता द्वारा की गई सुपुर्दगी की स्वीकार्यता एवं समझ की पुष्टि करें।			
2.	बोलीदाता ने मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) संबंधी विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र मुहैया कराया है।			
3.	कृपया पुष्टि करें कि फर्म कप्यूटर मदों के लिए अनुरक्षण सपोर्ट मुहैया कराने के लिए आई एस ओ प्रमाणित है।			
4.	कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि निविदा दस्तावेज की शर्तो के संबंध में कार्य क्षेत्र में कोई विचलन है।			

टिप्पणी-1 सभी बोलीदाताओं को अनुपालन कॉलम में 'हां' या 'नहीं' लिखना अपेक्षित है। उन्हें तकनीकी बोली में विस्तार से यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अपेक्षित है कि तकनीकी बोली में उल्लिखित तकनीकी कार्य क्षेत्र के अनुपालन की योजना कैसे बनाई है। उन्हें 'पृष्ठ सं.' का भी उल्लेख करना अपेक्षित है जहां उन्होंने उपर्युक्त सभी 4 बिन्दुओं को वर्णित किया है।

टिप्पणी-2 *विचलन, यदि कोई हो, को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।

<u>अनुबंध –IV</u>

<u>आई बी एम सर्वर एवं संबद्ध मदों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए बोली आमंत्रण</u>

हमने .... (फर्म का नाम एवं पता) आपके दिनांक .... की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में आई बी एम सर्वर एवं संबद्ध मदों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी) हेतु, तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथापेक्षित जानकारी, हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. कि हम एनआईटी में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और हमारी बोली पूर्णत: कार्यक्षेत्र के अनुसार है।
3. कि फर्म सात से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसका कारोबार कम से कम 20 लाख रुपए है।
4. कि फर्म के पास कार्यक्षेत्र में यथाविनिर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता है और ए एम सी की अवधि के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के सर्वर एवं संबद्ध मदों के अनुरक्षण की देखरेख के लिए फर्म द्वारा कॉल आधार पर सर्विस इंजीनियर मुहैया कराई जाएगी ।
5. कि सर्वर एवं संबद्ध मदों के पुर्जों की मरम्मत में इस्तेमाल किए जाने वाले / इनके बदले लगाए जाने वाले पुर्जे आदि, मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) के होंगे।
6. कि मुझे/हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है ।
7. कि मुझे/हमें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म / बोलीदाता का नाम और पता

<u>अनुबंध - V</u>

घोषणा

मैं...सुपुत्र / सुपुत्री श्री
....
एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा कोई भी संबंधी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) नई दिल्ली में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है तो सं.लो.से.आ. को मुझे कोई पूर्व सूचना दिए बिना उचित समझी जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांकः .... (फर्म की मुहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर)

अनुबंध - VI

मूल्य अनुसूची

भाग-'क'

क्रम सं.	वार्षिक अनुरक्षण संविदा के दायरे में आने वाले विवरण / उपकरण	मात्रा	प्रथम वर्ष (Y 1) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू.में)	द्वितीय वर्ष (Y-2) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू. में)	तृतीय वर्ष (Y 3) (कर शामिल नहीं) के लिए दर (रू में)	निविदा की तारीख को लागू कर (प्रतिशत में)	
1.	मॉडल आई बी एम सिस्टम एक्स 3650एम4 (रैक सर्वर-2 पी जियान प्रोसेसर / 32 जी बी / 2×300जी बी)	4					
2.	मॉडल आई बी एम सिस्टम एक्स 3500 एम4 (टावर सर्वर-2 पी जियान प्रोसेसर / 32 जी बी / 3×900जी बी)	2					
3.	मॉडल आई बी एम सिस्टम एक्स 3100 एम5 (टावर सर्वर-1 पी जियान प्रोसेसर / 16 जी बी / 2×500 जी बी)	6					
4.	के बी एम स्विच- एटेन मेक -(एटेन 8 पोर्ट पी एस/ 2 यू एस बी के वी एम पी) एवं कंसोल	1					
5.	कुल (रूपए में)						

टिप्पणी :

1. प्रथम वर्ष की शुरूआत संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से होगी ।

2. एन पी वी (कुल वर्तमान मूल्य) का परिकलन 10% वार्षिक छूट की दर पर किया जाएगा । एल-1 फर्म का निर्णय करने के लिए परिकलन का विवरण निम्नानुसार है :-

एन पी वी = {वाई1+वाई 2 / (1+ 0.1)+ वाई 3 / $(1+ 0.1)^2$}
[एन पी वी= कुल वर्तमान मूल्य; वाई 1= प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर; वाई 2=द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर तथा वाई 3=तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर]
एन पी वी का उदाहरण:

(i) यदि वाई 1 = 150, वाई 2= 200 तथा वाई 3 = 240, तब एन पी वी का परिकलन निम्नानुसार होगा :-
एन पी वी = 150+ (200/1.1) + (240/1.21)
= 150+ 181.82 + 198.35
= 530.17
इस प्रकार, एन पी वी 530. 17 रूपए है ।

(ii) यदि वाई 1 = 300, वाई 2= 250 तथा वाई 3 = 200, तब एन पी वी का परिकलन निम्नानुसार होगा :-
एन पी वी = 300+(250/1.1) + (200/1.21)
= 300 + 227.27 + 165.29
= 692.56
अत: एन पी वी 692. 56 रूपए है ।

3. एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी के आधार पर किया जाएगा । तथापि, वेंडर द्वारा उद्धृत वर्षवार दर तथा लागू करों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

<u>अनुबंध - VII</u>

जांच सूची

क्रम सं.	विवरण	हां/नहीं	पृष्ठ सं.
.1	क्या जमा धरोहर राशि की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है ?		
.2	क्या आई एस ओ प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है ?		
.3	क्या ओ ई एम अर्थात मैसर्स आई बी एम से प्राप्त विशिष्ट प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है ?		
.4	क्या कंपनी के पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है ?		
.5	क्या वर्ष 2017-18 सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है ?		
.6	क्या वर्ष 2017-18 सहित फर्म की पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
.7	क्या प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान फर्म के वार्षिक कारोबार को दर्शाते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
.8	क्या पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान कार्य आदेश / क्रय आदेश की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
.9	क्या पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
.10	क्या जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
.11	क्या अनुबंध-III में दी गई तकनीकी अनुपालन विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
12.	क्या अनुबंध-IV में दिए गए प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		
13.	क्या अनुबंध-V में दी गई घोषणा की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति संलग्न है?		

(प्राधिकृत फर्म का नाम एवं पता)
दूरभाष सं. /मोबाइल सं./ फैक्स

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

(1) बोलीदाताओं को [केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) (सीपीपी पोर्टल) पर **"ऑनलाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट"** लिंक पर क्लिक करके जो नि:शुल्क है] पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।

(2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

(3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है । इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रमण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(4) इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत मान्यताप्राप्त (अर्थात सी फी / टी सी एस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैद्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी-**II** या श्रेणी-**III** प्रमाण पत्र) ।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(6) बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डीएससी / ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें ।

निविदा दस्तावेज़ के लिए सर्च करना :

(1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, कई पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे। निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए संयोजित कर सकते है।

(2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ निविदा / धितकार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबं'मेरी निविदा' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। इससे सीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस ई-मेल के माध्यम से निविदा दस्तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी दे सकेगा।

(3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मदद चाहते /हैं।

बोली तैयार करना:

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रख लेना चाहिए।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ अपेक्षित है। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी भी विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

(3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और साधारणतया ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाएगा जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकर को छोटा करने में मदद करता है।

(4) मानक दस्तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने के लिए प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं के लिए मुहैया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है, जो उनके पास उपलब्ध है। बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा।

बोली प्रस्तुत करना :

(1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में इंगित किए अनुसार अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण का विवरण प्रविष्ट करना होगा।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ डाक / कुरियर द्वारा संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रसतुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा अपेक्षित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता भी द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन तकनीक पी.के. आई. का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। सेवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। प्रणाली जनित सममितकी का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई बोली दस्तावेजों समर्मित इन्क्रिपशन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन

का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाली सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।

(9) बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

11. बोलीदाताओं को सहायता

(i) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जाए।

(ii) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं .1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।